

निदेशालय आयुर्वेद,  
हिमाचल प्रदेश, शिमला

ayur-hp@nic.in

दूरभाष: 0177-2622262  
फैक्स 0177-2622010

संख्या: 3/पु.एच(बी)(04)-10/2013-(ज0सू0अ0)

दिनांक

कार्यालय आदेश

राजकीय अधिसूचना संख्या अयुर-बी(3)-2/2013 दिनांक 18.11.2015 के तहत डा. सुरेन्द्र मेहता, होमियोपैथी चिकित्सा अधिकारी को 6 माह के लिये होमियोपैथी परिषद के पंजीयक के पद पर पुनः नियुक्त किया गया है। कार्यालय आदेश समसंख्यक 8431-36 दिनांक 17.05.2012 का अनुसरण करते हुये सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उपधारा (1) व (2) और धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लोक प्राधिकरण के कार्यालय में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिये नागरिकों को सूचना नियंत्रण के अधीन निम्नलिखित लोक प्रकाशकों को प्रथम अपील अधिकारी व जन सूचना अधिकारी के लिये आगामी आदेशों तक नामित किया जाता है।

क्र.सं.	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	नामित रूप	अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
निदेशालय स्तर पर			
1	संयुक्त निदेशक (प्रशासनिक)	प्रथम अपील अधिकारी	प्रदेश स्तर पर
2	पंजीयक, होमियोपैथी परिषद	जन सूचना अधिकारी	प्रदेश स्तर पर

*हस्ताक्षर*

(डा० संदीप भटनागर)  
निदेशक आयुर्वेद,  
निदेशालय आयुर्वेद,

23.07.2015 - 20.2.25

पुनः प्रकाशित संख्या उपरोक्त दिनांक  
एच.एच. सूचनार्थ प्रेषित:-

शिमला-9 17/11/15

1. ज्य मुख्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश शिमला-2।
2. मान सचिव (प्रशासनिक सुधार), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
3. मान सचिव (आयुर्वेद), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
4. मरस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश
5. संयुक्त निदेशक, रा.सू.प्रौ. (एन.आई.सी.) को सूचनार्थ व विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु।
6. मरस्त जन सूचना अधिकारी अधीनस्थ आयुर्वेद विभाग हि० प्र०।
7. मरस्त शाखा अधीक्षक निदेशालय आयुर्वेद हि० प्र०।

*हस्ताक्षर*  
(डा० संदीप भटनागर)  
निदेशक आयुर्वेद,  
निदेशालय आयुर्वेद,